

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, चन्दौली।

पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-41/ (स्कूल/ बी)/2021

दिनांक: 28-12-2021

सेवा में

प्रबंधक

बी.पी.एस. पब्लिक स्कूल
जी. टी. रोड. नौबतपुर,
चन्दौली, उ. प्र.

विषय:- विद्यालय भवन बी.पी.एस. पब्लिक स्कूल, जी.टी.रोड. नौबतपुर, थाना सैयदराजा, चन्दौली, जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा पत्र के जारी किये जाने के सम्बन्ध में-

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक: 853 दिनांक:15-12-2021

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुसार विद्यालय भवन बी.पी.एस. पब्लिक स्कूल, जी.टी.रोड. नौबतपुर, थाना-सैयदराजा, चन्दौली, का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी चन्दौली द्वारा किया गया तो अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक व कार्यशील दशा में पाया गया जो निम्न है-

1. डी0सी0पी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 कि.ग्रा 04 अदद।
2. ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 कि.ग्रा 08 अदद।
3. सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 कि.ग्रा 01 अदद।
4. फायर बकेट क्षमता 9 ली. 04 अदद।
5. धूम्रपान निषेध बोर्ड (नो स्मोकिंग) 01 अदद।

A. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या: 483/2009 में पारित आदेश दिनांक: 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि :-

1. किसी भी स्कूल को यह सुनिश्चित किया जाय कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।
2. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
3. समय-समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाय। सम्बंधित अधिकारी एवं अभियंता इस सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण-पत्र केवल समुचित जाँच उपरांत ही प्रदान करेंगे। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं तो इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



PRINCIPAL
B P S PUBLIC SCHOOL
NAUBATPUR, CHANDOLI

-2/ पर

